



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032024-252657
CG-DL-E-06032024-252657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945

No. 136]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (परिनिर्धारण) विनियम, 2024

(2024 का सं. 04)

सं. सीसीआई/विनियम-परि.विनि./2024.—प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 48क के साथ पठित, धारा 64 की द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, परिनिर्धारण आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने और परिनिर्धारण कार्यवाही, और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों को संचालित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ. -

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (परिनिर्धारण) विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं. -

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) “अधिनियम” से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;
 - (ख) “आयोग” से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;
 - (ग) “महानिदेशक” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (छ) में यथापरिभाषित महानिदेशक अभिप्रेत है;
 - (घ) “शास्ति पर मार्गदर्शक सिद्धांत” से अधिनियम की धारा 64ख की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है;
 - (ङ) “परिनिर्धारण रकम” से इन विनियमों के विनियम 6 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित रकम अभिप्रेत है;
 - (च) “परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई उद्यम, जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 4 के अभिकथित उल्लंघनों के लिए अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच संस्थित की गई है, और जो इन विनियमों के अधीन, अभिकथित उल्लंघनों के लिए संस्थित कार्यवाहियों के परिनिर्धारण के लिए आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है, अभिप्रेत है;
 - (छ) “परिनिर्धारण आवेदन” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 4 के अभिकथित उल्लंघनों के लिए संस्थित कार्यवाहियों के परिनिर्धारण के लिए इन विनियमों के अधीन, आयोग के समक्ष परिनिर्धारण करने वाला आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अभिप्रेत है;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा, जो उनका, यथास्थिति, अधिनियम या नियम या तदधीन बनाये गये विनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में है।

3. परिनिर्धारण के लिए आवेदन. -

- (1) परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, विनियम 9 के उपविनियम (1) के अधीन, यथाउपबंधित ऐसी फीस के साथ, नीचे यथाविनिर्दिष्ट सूचना अंतर्विष्ट करते हुए आयोग को लिखित में आवेदन कर सकेगा:
 - क) परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक का नाम, विधिक स्थिति (कंपनी या फर्म या एलएलपी या न्यास, इत्यादि), पंजीकरण संख्या, (यदि प्रयोज्य हो), संपर्क विवरण जिसमें पूर्ण पंजीकृत पता, मूल कारबार पता (क्षेत्र को कोड, शहर और देश के साथ), मोबाइल/ दूरभाष संख्या, ईमेल एवं वेबसाइट का पता (यदि कोई हो) सम्मिलित होंगे।
 - ख) परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक का प्राधिकृत प्रतिनिधि(प्रतिनिधियों) का नाम और उनके संपर्क के ब्यौरे जिसमें पूर्ण कारबार पता, दूरभाष संख्या और ईमेल सम्मिलित होंगे।
 - ग) विनियम 9 के अधीन, आयोग को संदाय फीस का साक्ष्य।
 - घ) परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के संबंध में, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन प्राप्त अन्वेषण रिपोर्ट में महानिदेशक के निष्कर्षों का ब्यौरा।
 - ङ) अभिकथित उल्लंघनों एवं महानिदेशक के निष्कर्षों के संबंध में तथ्यों का पूर्ण और सही प्रकटन।
 - च) परिनिर्धारण के प्रस्ताव का ब्यौरा जिसमें अभिकथित उल्लंघनों, प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं का कैसे निवारण किया जाए और तत्संबंधी निर्वचन और अनुश्रवण की रीति सम्मिलित होंगे।
 - छ) क्या परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को पूर्व में, अधिनियम के कोई उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया गया है या क्या परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के विरुद्ध अधिनियम के उपबंधों के कोई अभिकथित अतिक्रमण के लिए कोई कार्यवाही अनिर्णीत है या क्या परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक (आवेदकों) ने अतीत में कोई परिनिर्धारण या प्रतिबद्धता आवेदन किया है/(किये हैं)। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा?
 - ज) अभिकथित उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव का ब्यौरा और अभिकथित उल्लंघनों में उद्यम की अंतर्वलितता की कालावधि।

- झ) सारांश, जिसमें कोई गोपनीय सूचना अंतर्विष्ट न हो, जिसमें अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश में अभिव्यक्त आयोग की प्रथम दृष्टया राय के साथ प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं, अभिकथित उल्लंघन, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक द्वारा प्रस्थापित विधिवत अभिगृहीत परिनिर्धारण प्रस्ताव और वे प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं का कैसे निवारण करते हैं, का ब्यौरा समाविष्ट हो।
- ज) अन्य प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों, मंचों या न्यायालयों का ब्यौरा, यदि कोई हो, जिन्होंने अभिकथित उल्लंघनों की जांच की है या वर्तमान में कर रहे हैं, इसमें वे भी सम्मिलित हैं जहां परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक ने प्रतिबद्धता और/या परिनिर्धारण आवेदन दाखिल किए हैं।
- ट) अनुसूची I के अनुसार वचनबंध और अधित्यजन।
- ठ) कोई अन्य सूचना जो विनियम 7 के अधीन विनिर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिबद्धता के निबंधनों का अवधारण करने में आयोग की सहायता करे।
- (2) परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन, महानिदेशक की रिपोर्ट या तत्संबंधी गोपनीय पाठ की प्राप्ति के पश्चात, यदि प्रयोज्य हो, उपविनियम (1) के अधीन परिनिर्धारण आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- परंतु यह कि यदि परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, महानिदेशक की रिपोर्ट या तत्संबंधी गोपनीय पाठ, यदि प्रयोज्य हो, की प्राप्ति से 45 (पैंतालीस) समाप्त होने के पश्चात, परिनिर्धारण आवेदन करता है तो आयोग उस पर विचार नहीं करेगा।
- परंतु यह और कि यदि 30 (तीस) दिनों की आगे कालावधि के भीतर परिनिर्धारण आवेदन प्राप्त हो जाता है और आयोग का समाधान हो जाता है कि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर इसे दाखिल न करने के लिए पर्याप्त कारण थे तो आयोग, ऐसे विलंब के माफ करने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के पश्चात, परिनिर्धारण आवेदन पर विचार कर सकेगा।
- (3) जहां परिनिर्धारण आवेदन किसी भी तरह से अपूर्ण है या इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को ऐसे त्रुटि(त्रुटियों) को दूर करने या दस्तावेज(दस्तावेजों) सहित अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकेगा। परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक संसूचना प्राप्त होने के दस (10) दिवस या ऐसी अन्य कालावधि, जो आयोग विनिर्दिष्ट करे, के भीतर दस्तावेज सहित ऐसे त्रुटियों का परिशोधन करेगा या अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर परिनिर्धारण आवेदन अविधिमान्य समझा जाएगा।
- (4) विनियम 4 के अधीन आयोग द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व, परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, किसी भी समय पर, परिनिर्धारण आवेदन प्रत्याहृत कर सकेगा।
- (5) कोई परिनिर्धारण कार्यवाही के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा,
- क) यदि परिनिर्धारण आवेदन में, महानिदेशक द्वारा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन अपने अन्वेषण रिपोर्ट में पाये गये सभी उल्लंघन सम्मिलित न हों।
- ख) यदि परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक से अधिनियम के अधीन, वसूली के लिए दायी कोई राशि शोध्य हो।

4. परिनिर्धारण के लिए प्रस्ताव की विचारणा. -

- (1) विनियम 3 के निबंधनों के अनुसार सर्वथा पूर्ण परिनिर्धारण आवेदन, तत्संबंधी प्राप्ति के 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर आयोग की साधारण बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा।
- (2) यदि आयोग का, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक द्वारा प्रस्थापित परिनिर्धारण से प्रथम दृष्टया समाधान नहीं हो जाता है, तो वह परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को इसके लिए कारण संसूचित करेगा और परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को कथित संसूचना प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर, संशोधित परिनिर्धारण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

- (3) जब उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अधीन, सर्वथा पूर्ण परिनिर्धारण आवेदन, आयोग के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है, तो आयोग परिनिर्धारण आवेदन पर, अंतिम निर्णय होने तक या ऐसे समय तक जो आयोग विनिश्चित करे, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के विरुद्ध जांच को प्रास्थगित रख सकेगा।
 - (4) परिनिर्धारण के प्रस्ताव पर विचार करते समय, आयोग विनियमन 5 के निबंधनों के अनुसार आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करेगा।
 - (5) अभिकथित उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिनिर्धारण और विनियम 5 के अधीन प्राप्त टीका-टिप्पणियों, आक्षेपों या सुझावों पर विचार करने के पश्चात,
- क.) आयोग, यथास्थिति, विनियम 3 के उपविनियम (1) के अधीन दाखिल परिनिर्धारण आवेदन या उपर्युक्त उपविनियम (2) के अधीन दाखिल संशोधित प्रतिबद्धता विनियम में यथा अंतर्विष्ट परिनिर्धारण पर सहमत होते हुए, परिनिर्धारण के निर्वचन और अनुश्रवण की रीति से संबंधित ऐसी अन्य शर्तों और प्रतिबद्धता आवेदक के विरुद्ध तत्क्षण कार्यवाही बंद करने के अध्यक्षीन, अधिनियम की धारा 48क की उपधारा (3) के निबंधनों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा।
- ख.) यदि आयोग यह राय बनाता है कि यथास्थिति, विनियम 3 के उपविनियम (1) के अधीन दाखिल परिनिर्धारण आवेदन या उपर्युक्त उपविनियम (2) के अधीन दाखिल संशोधित परिनिर्धारण आवेदन, परिस्थितियों में, उपयुक्त नहीं हैं तो वह अधिनियम की धारा 48क की उप धारा (5) के निबंधनों के अनुसार पारित आदेश द्वारा परिनिर्धारण आवेदन नामंजूर करेगा और अधिनियम की धारा 26 के अधीन, उसकी जांच के साथ अग्रसर होगा।
- ग.) यदि आयोग का, परिनिर्धारण आवेदन से समाधान नहीं होता है, तो वह विनियम 5 में विनिर्दिष्ट कालावधि समाप्त होने के पश्चात 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को इसके कारणों के बारे में संसूचित करेगा और परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को उक्त संसूचना प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, संशोधित परिनिर्धारण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।
- घ.) यदि आयोग इस उप-विनियम (5) के खंड (ग) के अधीन दाखिल संशोधित परिनिर्धारण आवेदन पर विचार करने के पश्चात, इस पर सहमत हो जाता है, तो आयोग परिनिर्धारण के निर्वचन और अनुश्रवण की रीति से संबंधित ऐसी अन्य शर्तों और परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के विरुद्ध तत्क्षण कार्यवाही बंद करने के अध्यक्षीन, अधिनियम की धारा 48क की उपधारा (3) के निबंधनों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा।
- ङ.) यदि आयोग का, इस उपविनियम (5) के खंड (ग) के अधीन दाखिल संशोधित परिनिर्धारण आवेदन पर विचार करने के पश्चात इससे समाधान नहीं होता है तो वह अधिनियम की धारा 48क की उपधारा (5) के निबंधनों के अनुसार पारित आदेश द्वारा परिनिर्धारण आवेदन नामंजूर करेगा और अधिनियम की धारा 26 के अधीन, उसकी जांच के साथ अग्रसर होगा।
- (6) यदि परिनिर्धारण करने वाला आवेदक उपर्युक्त उपविनियम (2) और उपविनियम (5) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट समयवधि के भीतर, संशोधित परिनिर्धारण आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहता है या स्पष्टीकरण, सूचना या डेटा, जो कि उप-विनियम (11) के अधीन मांगा गया है, उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो आयोग अधिनियम की धारा 48क की उपधारा (5) के निबंधनों के अनुसार पारित आदेश द्वारा परिनिर्धारण आवेदन नामंजूर करेगा और अधिनियम की धारा 26 के अधीन, उसकी जांच के साथ अग्रसर होगा।
 - (7) आयोग, अधिनियम की धारा 48क की उपधारा (3) के निबंधनों के अनुसार आदेश पारित करने से पूर्व, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को विनियम 6 के निबंधनों के अनुसार संगणित परिनिर्धारण रकम की संसूचना देगा, परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक ऐसी संसूचना प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिवसों के भीतर, उसकी अपने प्रतिग्रहण की संसूचना देगा। संगणित और परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को संसूचित परिनिर्धारण रकम अंतिम होगी और उसके पुनरीक्षण की मांग वाले कोई आवेदन पर आयोग विचार नहीं करेगा।
 - (8) परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, तत्संबंधी प्रतिग्रहण की तारीख से 30 (तीस) दिवसों की कालावधि के भीतर, परिनिर्धारण रकम संदत्त करेगा, जिसके पश्चात आयोग, अधिनियम की धारा 48क की उपधारा (3) के निबंधनों के अनुसार आदेश पारित करेगा।

- (9) यदि परिनिर्धारण करने वाला आवेदक, उपविनियम (7) में विहित कालावधि के भीतर परिनिर्धारण रकम पर अपने प्रतिग्रहण की संसूचना देने में असफल रहता है या और उपविनियम (8) में विहित कालावधि के भीतर, परिनिर्धारण रकम संदत्त करने में असफल रहता है, तो आयोग, अधिनियम की धारा 48क की उपधारा (5) के निबंधनों के अनुसार पारित आदेश द्वारा परिनिर्धारण आवेदन नामंजूर करेगा और अधिनियम की धारा 26 के अधीन, उसकी जांच के साथ अग्रसर होगा।
- (10) संपूर्ण परिनिर्धारण कार्यवाही, विनियमन 3 के निबंधनों के अनुसार, सर्वथा पूर्ण परिनिर्धारण आवेदन प्राप्त होने के 180 (एक सौ अस्सी) कार्य दिवसों के भीतर समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा न होने पर परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 26 के अधीन पुनः जांच आरंभ कर दी जाएगी।
- परंतु यह कि आयोग, यदि उचित समझे, 180 (एक सौ अस्सी) कार्य दिवसों की उक्त कालावधि, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए आगे ऐसी कालावधि, जो विनिर्दिष्ट हो, तक बढ़ा सकेगा।
- (11) आयोग, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक से स्पष्टीकरण, सूचना या डेटा, जो उचित समझे, मांग सकेगा, जो परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपलब्ध कराएगा।
- (12) उपर्युक्त उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित आधार पर, किसी भी समय पर, परिनिर्धारण आवेदन नामंजूर किया जा सकेगा:
- (क) जहां परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक आयोग द्वारा भेजी गई संसूचना लेने से या उसका प्रत्युत्तर देने से इनकार कर देता है।
- (ख) जहां परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक कोई रीति में उल्लंघन करता है या अनुसूची-1 के अनुसार दिए गए वचनबंध और अधित्यजन का पालन नहीं करता है।
- (13) उपर्युक्त उपविनियम (5) के खंड (ख) और (ड.), उपविनियम (6) और उपविनियम (12) के अधीन, परिनिर्धारण आवेदन नामंजूर करने का आदेश पारित करने से पूर्व, आयोग परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
- (14) परिनिर्धारण आवेदन के लंबित रहने के दौरान, आयोग उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और/या बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और उसका संरक्षण करने के लिए अंतरिम और/या अन्य निदेश जारी कर सकेगा और परिनिर्धारण आवेदन के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को उसका अनुपालन अपेक्षित होगा।
- (15) परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को इस विनियमन के अधीन नामंजूरी की संसूचना दी जाएगी:
- परंतु यह कि परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक अनुसूची 1 के अनुसार दिए गए वचनबंध और अधित्यजन द्वारा आवद्ध रहना जारी रहेगा।

5. परिनिर्धारण के प्रस्ताव पर आक्षेपों एवं सुझावों का आमंत्रण. -

- (1) परिनिर्धारण के प्रस्ताव पर विचार करते समय, आयोग संबद्ध पक्षकार, महानिदेशक, या कोई पक्षकार को 21 (इक्कीस) दिवसों के भीतर अपनी टीका-टिप्पणियाँ, आक्षेप, या सुझाव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। कथित प्रयोजन के लिए, आयोग, ऐसा सारांश, जिसमें कोई गोपनीय सूचना अंतर्विष्ट न हो, जिसमें अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश में अभिव्यक्त आयोग की प्रथम दृष्टया राय, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन प्राप्त अन्वेषण रिपोर्ट में महानिदेशक के निष्कर्षों के साथ प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं, अभिकथित उल्लंघन, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक द्वारा प्रस्थापित विधिवत अभिगृहीत परिनिर्धारण और वे प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं का कैसे निवारण करते हैं, का अन्य ब्यौरा, जो उचित समझे, समाविष्ट हो, साझा करेगा।
- (2) संबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल टीका-टिप्पणियाँ, आक्षेप और सुझाव में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे:
- क) संबद्ध पक्षकारों और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधिगण), यदि कोई हो, का नाम और संपर्क ब्यौरा जिसमें पता, दूरभाष, ईमेल सम्मिलित होंगे।

- ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित और संगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित टीका-टिप्पणियों, आक्षेपों और सुझावों का कथन।
- ग) टीका-टिप्पणियों, आक्षेपों और सुझावों का सारांश जो चार पृष्ठों से अधिक पृष्ठों में न रहे।
- घ) कोई अन्य सूचना जो परिनिर्धारण के निबंधनों का अवधारण करने में आयोग की सहायता करे।

6. परिनिर्धारण रकम अवधारित करने की रीति. -

- (1) परिनिर्धारण रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, आयोग, आधार रकम की संगणना करेगा जो शास्ति, जो अन्यथा अधिनियम की धारा 27 (ख) के अधीन उद्घटनीय हो गई हो, की अधिकतम रकम तक बढ़ाई जा सकती है।
- (2) विनियम (1) में यथाउल्लिखित आधार रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, आयोग, शास्ति संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा।
- (3) परिनिर्धारण रकम, उपविनियम (1) और (2) के अधीन संगणित आधार रकम पर 15% के परिनिर्धारण बढ़ा उपयोजित करते हुए अवधारित की जाएगी।

7. परिनिर्धारण आदेश की प्रकृति और उसके प्रभाव. -

- (1) अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिनिर्धारण के प्रस्ताव पर सहमत होते हुए, आयोग द्वारा पारित आदेश, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के विरुद्ध आयोग द्वारा उल्लंघन के निष्कर्ष के रूप में नहीं समझा जाएगा।
- (2) परिनिर्धारण आवेदन दाखिल करने या आयोग द्वारा परिनिर्धारण आदेश जारी करने का, उन अन्य पक्षकार, जो परिनिर्धारण कार्यवाही का हिस्सा नहीं हैं, की जांच में, कथित उल्लंघनों के संबंध में अधिनियम की धारा 26 के अधीन जांच पर असर नहीं होगा।
- (3) परिनिर्धारण आदेश अंतिम होगा और परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक पर आबद्धकर होगा।

8. परिनिर्धारण के निबंधनों का निर्धारण.

अभिकथित उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव पर और परिनिर्धारण आवेदन का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए विचार करते समय, आयोग निम्नलिखित सभी या कोई कारक, जिसमें सम्मिलित है, पर उचित ध्यान देगा:

- (क) अभिकथित उल्लंघन के आचरण की प्रकृति, उसका प्रकार, कालावधि और सीमा;
- (ख) क्या परिनिर्धारण के निबंधन, अभिकथित उल्लंघनों का निवारण करते हैं, और अनुश्रवण सुलभ बनाने के अतिरिक्त, इसे प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से निर्वचित किया जा सकता है;
- (ग) क्या परिनिर्धारण के निबंधन, बाजारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं;
- (घ) प्रक्रियात्मक दक्षताएं, स्व-निष्पादित निबंधन और बाजार विकृतियों का शीघ्र सुधार;
- (ङ) क्या परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को पूर्व में, अधिनियम के कोई उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया गया है या क्या परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के विरुद्ध अधिनियम के उपबंधों के कोई अभिकथित अतिक्रमण के लिए कोई अन्वेषण या जांच अनिर्णीत है या क्या परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक ने पूर्व में कोई परिनिर्धारण या प्रतिबद्धता आवेदन किया है/(किये हैं);
- (च) क्या परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक ने अपने वे आचरण और नीतियां पहले ही उपांतरित कर ली हैं जो आयोग द्वारा अधिनियम के प्रथम दृष्टया अतिक्रमण करते हुए पाए गए हैं या परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक ने भविष्यवर्ती अतिक्रमण या व्यपगमन कम करने के कदम उठा लिये हैं;
- (छ) कोई अन्य कारक जो आयोग, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

9. अधिनियम की धारा 48(क) की उपधारा (1) के अधीन फीस. -

1. अधिनियम की धारा 48(क) की उपधारा (1) के अधीन, आयोग को प्राप्त प्रत्येक आवेदन के साथ अप्रतिदेय फीस के संदाय का निम्नानुसार साक्ष्य संलग्न होगा:

- (क) उस मामले में, जहां परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक का, भारत में, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में, कुल व्यापारावर्त 50,00,00,000 (पचास करोड़ रुपये) का रहा हो, 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) मात्र; या
- (ख) उस मामले में, जहां परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक का, भारत में, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में, कुल व्यापारावर्त 50,00,00,000 (पचास करोड़ रुपये) से अधिक और 500,00,00,000 (पांच सौ करोड़ रुपये) तक का रहा हो, 10,00,000 (दस लाख रुपये) मात्र; या
- (ग) उस मामले में, जहां परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक का, भारत में, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में, कुल व्यापारावर्त 500,00,00,000 (पांच सौ करोड़ रुपये) से अधिक का रहा हो, 50,00,000 (पचास लाख रुपये) मात्र।
2. फीस का संदाय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि), नई दिल्ली के पक्ष में संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, संदाय आदेश या बैंक चेक प्रस्तुत करके या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि), 'पंजाब नेशनल बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066' के खाता संख्याक 1988002100187687 में सीधे प्रेषण द्वारा इलैक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के माध्यम से किया जा सकेगा।

10. परिनिर्धारण आदेश का निर्वचन और अनुश्रवण. -

जहां आयोग की यह राय है कि परिनिर्धारण के निर्वचन के अनुश्रवण की आवश्यकता है, वहां वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार और आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऐसे निर्वचन के प्रेक्षण के लिए अभिकरणों की नियुक्ति कर सकेगा।

11. परिनिर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण. -

- (1) यदि परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, अधिनियम की धारा 48क के अधीन, आयोग द्वारा पारित आदेश का पालन करने में असफल रहता है या आयोग के संज्ञान में आता है कि परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक ने परिनिर्धारण कार्यवाही के दौरान, पूर्ण और सही प्रकटन नहीं किया है या तथ्यों में सारवान परिवर्तन किया है तो अधिनियम की धारा 48क के अधीन पारित आदेश प्रतिसंहृत और प्रत्याहृत रहेगा।
- परंतु यह कि इस संबंध में राय बनाने से पूर्व, आयोग, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की कालावधि के भीतर, यह कारण बताने अवसर देगा कि आयोग ऐसी राय क्यों न बनाए कि परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, अधिनियम की धारा 48क के अधीन, आयोग द्वारा पारित आदेश का पालन करने में असफल रहा है या यथास्थिति, परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, परिनिर्धारण कार्यवाही के दौरान, पूर्ण और सही प्रकटन करने में असफल रहा है या तथ्यों में सारवान परिवर्तन हुआ है।
- (2) जहां उपर्युक्त उपविनियम (1) के अनुसार परिनिर्धारण आदेश प्रतिसंहृत और प्रत्याहृत हो जाता है तो परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, आयोग द्वारा उपगत विधिक खर्चों का अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन, आयोग द्वारा यथावधारित, संदाय करने के लिए दायी होगा जो विनियम 9 के उपविनियम (2) के निबंधनों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।
- (3) प्रतिबद्धता करने वाले आवेदक पर अधिरोपित ऐसी विधिक लागत, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2011 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 39 के अधीन उसी रीति से वसूली होगी जो अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति की वसूली के लिए विहित है।
- (4) आगे, जहां उपर्युक्त उपविनियम (1) के अनुसार परिनिर्धारण आदेश प्रतिसंहृत और प्रत्याहृत हो जाता है वहां आयोग, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के विरुद्ध जांच या अन्वेषण, जिसके संबंध में धारा 48क के अधीन आदेश पारित किया गया था, भी प्रत्यावर्तित या संस्थित कर सकेगा।

12. सूचना का उपयोग करने की शक्ति. -

- (1) जहां आयोग ने विनियमन 11 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 48 ग के निबंधनों के अनुसार, अपना परिनिर्धारण आदेश प्रतिसंहृत और प्रत्याहृत कर लिया है, वहां आयोग और महानिदेशक, अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना और दस्तावेजों पर निर्भर हो सकेगा।

- (2) जहां परिनिर्धारण आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है या प्रत्याहृत कर लिया जाता है, वहां आयोग और महानिदेशक, अधिनियम के अधीन कार्यवाही में परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के अतिरिक्त, अन्य स्रोतों से एकत्रित सूचना का उपयोग कर सकेंगे।
- (3) आयोग, अधिनियम की धारा 57 के साथ पठित, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 35 के उपबंधों के अधीन, परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना का उपयोग, उन अन्य पक्षकारों के विरुद्ध जांच में कर सकेगा जो परिनिर्धारण कार्यवाही का हिस्सा नहीं हैं।
- (4) परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के विरुद्ध, समान कारण की कार्रवाई के संबंध में, भारत में या भारत के बाहर, कोई विधि के अधीन, चल रही या समाप्त कार्यवाही में स्थापित या स्वीकार किए गए तथ्य, इन विनियमों के अधीन बंद किये जाने की प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक द्वारा स्वीकार किए गए समझे जाएंगे।

13. गोपनीयता के लिए अनुरोध. -

1. यदि परिनिर्धारण कार्यवाही के दौरान, सूचना या दस्तावेज(दस्तावेजों) की गोपनीयता के लिए कोई अनुरोध प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा अनुरोध, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में अधिकथित, समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया के अनुसार दाखिल किया जा सकेगा।
2. गोपनीयता के लिए ऐसे अनुरोध पर, अधिनियम की धारा 57 के साथ पठित, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में अधिकथित, समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसार विधिवत विचार किया जाएगा।

14. दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतियां. -

1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 37 और विनियम 50 में अंतर्विष्ट कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केवल सूचना देने वाले और परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक को ही परिनिर्धारण कार्यवाही में प्रस्तुत दस्तावेजों के निरीक्षण करने और प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।
परंतु यह कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 35 के उपबंधों के अनुसार, ऐसे दस्तावेजों के गोपनीय पाठ का निरीक्षण करने और प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।
2. विनियम 5 के अधीन प्राप्त टीका-टिप्पणियों के निरीक्षण करने और प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा, उसमें उल्लिखित 21 (इक्कीस) दिवस की कालावधि समाप्त होने के पश्चात ही दी जाएगी।

15. कतिपय परिस्थितियों में प्रक्रिया अवधारित करने की शक्तियाँ. -

उस स्थिति में, जो इन विनियमों में उपबंधित नहीं की गई है, आयोग, कारण लिखित में अभिलिखित करके, विशिष्ट मामले में प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा।

16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति. -

इन विनियमों के निर्वचन के विषय में, यदि कोई संदेह या कठिनाई सामने आती है तो आयोग के पास स्पष्टीकरण निर्गमित करने और परिपत्रों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की शक्ति होगी और उस पर आयोग का विनिश्चय आवद्धकर होगा।

अनुसूची I

वचनबंध और अधित्यजन

मैं/हम,, इसमें परिनिर्धारण करवाने वाला (परिनिर्धारण करने वाले आवेदक), आयोग को आवेदन का परीक्षण करने और उस पर विचार करने के लिए संलग्न आवेदन करने की शर्त के रूप में, एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सहमत हूं/हैं और वचन देता हूं/देते हैं कि:

1. परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन अभिकथित उल्लंघनों के संबंध में कार्यवाही संस्थित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग) की अधिकारिता और अधिकार स्वीकार करता है।

2. आयोग, इस आवेदन के अनुसार पारित परिनिर्धारण आदेश के कोई उल्लंघन से होने वाले या उसके संबंध में कोई दावा(दावे) परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता है।
3. परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, परिनिर्धारण आदेश, जो पारित किया जा सकेगा, में सम्मिलित होने वाले मुद्दे के संबंध में, आयोग के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही करने के अपने अधिकार का अधित्यजन कर देता है।
4. परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, आगे निम्नलिखित का अधित्यजन कर देता है:
 - क) तथ्य के निष्कर्ष और विधि के निर्णय;
 - ख) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या अन्य न्यायालयों के समक्ष अपील या पुनर्विलोकन;
 - ग) यदि परिनिर्धारण करवाने वाला आवेदक, परिनिर्धारण आदेश का अतिक्रमण करता है तो कार्यवाही संस्थित करने या प्रत्यावर्तन करने के लिए परिसीमा या डील देने का कोई अभिवचन।

(निगम निकाय की मुहर और मुद्रा के साथ परिनिर्धारण करवाने वाले आवेदक के हस्ताक्षर)

मेरे समक्ष।

नोटरी।

अनुपमा आनंद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./803/2023-24]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA (SETTLEMENT) REGULATIONS, 2024

(No. 04 OF 2024)

No. CCI/Reg-S.R./2024.—In exercise of the powers conferred by section 64 read with section 48A of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to specify the procedure for filing of settlement applications and for conducting the settlement proceedings and matters connected therewith or incidental thereto, namely:-

1. Short title and commencement. -

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Settlement) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. -

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) “Act” means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);
- (b) “Commission” means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;
- (c) “Director General” means the Director General as defined in clause (g) of section 2 of the Act;
- (d) “Penalty Guidelines” means guidelines published by the Commission under sub-section (3) of section 64B of the Act;
- (e) “Settlement Amount” means the amount determined by the Commission under regulation 6 of these regulations;
- (f) “Settlement Applicant” means any enterprise, as defined in clause (h) of section 2 of the Act, against whom any inquiry has been initiated under sub-section (1) of section 26 of the Act for alleged contraventions of sub-section (4) of section 3 or section 4 of the Act, and submits an application for

settlement of proceedings initiated for the alleged contraventions to the Commission under these regulations;

(g) “Settlement Application” means an application submitted by a Settlement Applicant to the Commission under these regulations for settlement of proceedings initiated for the alleged contraventions of sub-section (4) of section 3 or section 4 of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings as assigned to them in the Act or in the regulations framed thereunder or in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as the case may be.

3. Application for settlement. -

(1) A Settlement Applicant may make a Settlement Application to the Commission in writing, accompanied by such fee as provided under sub-regulation (1) of regulation 9, containing the information as specified below:

- a) name, legal status (company or firm or LLP or trust, etc.), registration number (if applicable), contact details including complete registered address, principal business address (with area code, city and country), mobile/ telephone number, email and website address (if any) of the Settlement Applicant.
- b) name of the authorised representative(s) of the Settlement Applicant and their contact details including complete business address, telephone number and email.
- c) proof of payment of fees to the Commission under regulation 9.
- d) details of the findings of the Director General in relation to the Settlement Applicant in the investigation report received under sub-section (4) of section 26 of the Act.
- e) full and true disclosure of facts in respect of the alleged contraventions and the findings of the Director General.
- f) details of the proposal for settlement including as to how the same addresses the alleged contraventions, competition concerns and the manner of implementation and monitoring thereof.
- g) whether the Settlement Applicant, has previously been found to have contravened any provision of the Act or whether any proceeding against the Settlement Applicant is pending for any alleged violation of the provisions of the Act or whether the Settlement Applicant has in the past made any settlement or commitment application(s). If so, the details thereof.
- h) details of nature, gravity and impact of the alleged contraventions and the duration of the enterprise's involvement in the alleged contraventions.
- i) a summary, not containing any confidential information, comprising of *prima facie* opinion of the Commission expressed in the order issued under sub-section (1) of section 26 of the Act, findings of the Director General in the investigation report received under sub-section (4) of section 26 of the Act along with details of the competition concerns, alleged contraventions, duly capturing settlement proposal offered by the Settlement Applicant and how they address the competition concerns.
- j) details of other competition authorities, fora or courts, if any, which have examined or are currently examining the alleged contraventions including those where the Settlement Applicant has filed commitment and / or settlement applications.
- k) undertakings and waivers as per Schedule I.
- l) any other information that may assist the Commission in determining the terms of the settlement and the Settlement Amount having due regard to the factors specified under regulation 8.

(2) The Settlement Application under sub-regulation (1) may be submitted after the receipt of the report of the Director General or confidential version thereof, if applicable, by the Settlement Applicant under sub-section (4) of section 26 of the Act.

Provided that a Settlement Application shall not be entertained by the Commission if it is made after expiry of 45 (forty five) days from the receipt of report of the Director General or confidential version thereof, if applicable, by the Settlement Applicant.

Provided further that the Commission may entertain a Settlement Application after the period specified above, if the Settlement Application is received within a further period of 30 (thirty) days and the Commission is satisfied that there had been sufficient cause for not filing the same within the specified period after recording reasons for condoning such delay.

- (3) Where Settlement Application is incomplete in any respect or does not conform to the requirements of these regulations, the Settlement Applicant may be asked to remove such defect(s) or furnish the required information including document(s). The Settlement Applicant shall rectify such defects or furnish the required information including document(s) within 10 (ten) working days of the receipt of communication or such other period as may be specified by the Commission, failing which the Settlement Application may be treated as invalid.
- (4) A Settlement Application may be withdrawn by the Settlement Applicant at any time prior to the passing of an order by the Commission under regulation 4.
- (5) No application for settlement of any proceedings shall be considered,
 - a) if the Settlement Application does not cover all the contraventions found by the Director General in its investigation report under sub-section (4) of section 26 of the Act.
 - b) if any amount due under the Act is liable for recovery from the Settlement Applicant.

4. Consideration of proposal for settlement.-

- (1) The Settlement Application complete in all respects in terms of regulation 3 shall be placed for consideration before the Commission in its ordinary meeting within 7 (seven) working days of receipt thereof.
- (2) If the Commission is *prima facie* not satisfied with the settlement proposal offered by the Settlement Applicant, it shall communicate to the Settlement Applicant the reasons for the same and call upon the Settlement Applicant to furnish, within 15 (fifteen) working days of the receipt of the said communication, a revised Settlement Application.
- (3) When the Settlement Application complete in all respects is placed for consideration before the Commission under sub-regulation (1) above, the inquiry against the Settlement Applicant shall remain in abeyance till final decision on the Settlement Application or till such time, as may be decided by the Commission.
- (4) While considering the proposal for settlement, the Commission shall invite objections and suggestions in terms of regulation 5.
- (5) After consideration of the nature, gravity and impact of the alleged contraventions, the proposal for settlement submitted by the Settlement Applicant and the comments, objections, or suggestions received under regulation 5,
 - a.) the Commission may pass an order in terms of sub-section (3) of section 48A of the Act agreeing to the proposal for settlement as contained in the Settlement Application filed under sub-regulation (1) of regulation 3 or the revised Settlement Application filed under sub-regulation (2) above, as the case may be, subject to such other terms relating to manner of implementation of settlement and monitoring and close the proceedings against the Settlement Applicant forthwith.
 - b.) if the Commission is of the opinion that the Settlement Application filed under sub-regulation (1) of regulation 3 or the revised Settlement Application filed under sub-regulation (2) above, as the case may be, are not appropriate in the circumstances, it shall by order passed in terms of sub-section (5) of section 48A of the Act, reject the Settlement Application and proceed with its inquiry under section 26 of the Act.
 - c.) if the Commission is not satisfied with the Settlement Application, it shall within 15 (fifteen) working days after the expiry of period specified in regulation 5, communicate to the Settlement Applicant the reasons for the same and call upon the Settlement Applicant to furnish, within 30 (thirty) days of the receipt of the said communication, a revised Settlement Application.
 - d.) if the Commission after considering the revised Settlement Application, filed under clause (c) of this sub-regulation (5), agrees with the same, it shall pass an order in terms of sub-section (3) of section 48A of the Act agreeing to the proposal for settlement, subject to such other terms relating to manner of implementation of settlement and monitoring and close the proceedings against the Settlement Applicant forthwith.
 - e.) if the Commission after considering the revised Settlement Application, filed under clause (c) of this sub-regulation (5), is not satisfied with the same, it shall by an order passed in terms of sub-section (5) of section 48A of the Act, reject the revised Settlement Application and proceed with its inquiry under section 26 of the Act.
- (6) In case the Settlement Applicant fails to submit the revised Settlement Application within the time period specified in sub-regulation (2) and clause (c) of sub-regulation (5) above, or fails to provide clarification, information, or data as sought under sub-regulation (11), the Commission shall by an order passed in

terms of sub-section (5) of section 48A of the Act reject the Settlement Application and proceed with its inquiry under section 26 of the Act.

- (7) The Commission before passing an order in terms of sub-section (3) of section 48A of the Act shall communicate to the Settlement Applicant, the Settlement Amount computed in terms of regulation 6 and the Settlement Applicant shall communicate its acceptance of the same within 15 (fifteen) days of receipt of such communication. The Settlement Amount computed and communicated to the Settlement Applicant shall be final and any application seeking revision of the same shall not be entertained by the Commission.
- (8) The Settlement Applicant shall pay the Settlement Amount within a period of 30 (thirty) days from the date of acceptance thereof, whereupon the Commission shall pass an order in terms of sub-section (3) of section 48A of the Act.
- (9) If the Settlement Applicant fails to communicate its acceptance of the Settlement Amount within the time period prescribed in sub-regulation (7) or fails to pay the Settlement Amount within the time period prescribed in sub-regulation (8), the Commission shall by an order passed in terms of sub-section (5) of section 48A of the Act, reject the Settlement Application and proceed with its inquiry under section 26 of the Act.
- (10) The entire settlement proceedings shall be concluded within 180 (one hundred and eighty) working days of the receipt of the Settlement Application complete in all respect in terms of regulation 3, failing which the inquiry under section 26 of the Act against the Settlement Applicant shall stand resumed.
Provided that the Commission may extend the said period of 180 (one hundred and eighty) working days by such further period as may be specified, if deemed appropriate, for reasons to be recorded in writing.
- (11) The Commission may seek clarification, information, or data from the Settlement Applicant, as deemed appropriate, which shall be provided by the Settlement Applicant within the time specified by the Commission.
- (12) Notwithstanding the above provisions, a Settlement Application may also be rejected at any time on the following grounds:
 - a. where the Settlement Applicant refuses to receive or respond to the communications sent by the Commission.
 - b. where the Settlement Applicant violates in any manner or does not abide by the undertaking and waivers given as per Schedule-I.
- (13) The Commission shall before passing an order rejecting a Settlement Application under clause (b) and (e) of sub-regulation (5), sub-regulation (6) and sub-regulation (12) above, grant the Settlement Applicant an opportunity of being heard.
- (14) During the pendency of a Settlement Application, the Commission may issue interim and/or other directions to protect the interest of consumers and/or to maintain & protect competition in the market and require the Settlement Applicant to comply with the same within a specified time period for consideration of the Settlement Application.
- (15) The rejection under this regulation shall be communicated to the Settlement Applicant:
Provided that the Settlement Applicant shall continue to be bound by undertakings and waivers given as per Schedule I.

5. Invitation of objections and suggestions on proposal for settlement. –

- (1) While considering the proposal for settlement, the Commission shall provide an opportunity to the party concerned, the Director General, or any other party to submit their comments, objections, or suggestions, if any, within 21 (twenty one) days. For the said purpose, the Commission would share a summary, not containing any confidential information, comprising of *prima facie* opinion of the Commission expressed in the order issued under sub-section (1) of section 26 of the Act, findings of the Director General in the investigation report received under sub-section (4) of section 26 of the Act along with details of the competition concerns, alleged contraventions, duly capturing settlement proposal offered by the Settlement Applicant, how they address the competition concerns and any other detail as deemed fit.
- (2) The comments, objections and suggestions filed by the concerned parties shall contain the following details:
 - a) name and contact details including address, telephone number, email of the concerned party and its authorised representative(s), if any

- b) statement of comments, objections and suggestions duly authenticated by the authorised representative and supported by relevant documents.
- c) a summary of the comments, objections and suggestions not running into more than four pages.
- d) any other information that may assist the Commission in determining the terms of the settlement.

6. Manner of determining the Settlement Amount. -

- (1) For the purpose of determining Settlement Amount, the Commission would compute base amount which could extend up to maximum amount of penalty that would otherwise have been leviable under section 27(b) of the Act.
- (2) For the purpose of determining base amount as referred to in sub-regulation (1), the Commission shall be guided by the Penalty Guidelines.
- (3) The Settlement Amount would be determined by applying a settlement discount of 15% to the base amount computed under sub-regulation (1) and (2).

7. Nature and effect of settlement order. -

- (1) Without prejudice to provisions of section 53N of the Act, the order passed by the Commission agreeing to the proposal for settlement shall not be construed as a finding of contravention by the Commission against the Settlement Applicant.
- (2) Filing of Settlement Application or issuance of settlement order by the Commission shall have no bearing on the inquiry under section 26 of the Act in relation to the alleged contraventions, in respect of the other parties to the inquiry who are not part of the settlement proceedings.
- (3) The settlement order shall be final and binding upon the Settlement Applicant.

8. Assessment of the terms of the settlement. -

The Commission shall while considering the nature, gravity, impact of the alleged contraventions and for the purpose of assessing the Settlement Application, have due regard to all or any of the following factors, including:

- (a) the nature of conduct, its type, duration and extent of the alleged contraventions;
- (b) whether the settlement terms address the alleged contraventions and the same can be implemented effectively and expeditiously besides being easy to monitor;
- (c) whether the terms of settlement make the markets more contestable;
- (d) procedural efficiencies, self-executing terms and early correction of market distortions;
- (e) whether the Settlement Applicant, has previously been found to have contravened any provision of the Act or any investigation or inquiry is pending against the Settlement Applicant in respect of any alleged violation of the provisions of the Act or whether the Settlement Applicant has previously made any settlement or commitment application(s);
- (f) whether the Settlement Applicant has already modified its conduct and policies which have been found to be in prima facie violation of the Act by the Commission or steps taken by the Settlement Applicant to minimize future violations or lapses;
- (g) any other factor as may be deemed appropriate by the Commission in the facts and circumstances of the case.

9. Fee under sub-section (1) of section 48A of the Act. -

- 1. Every application received under sub-section (1) of section 48A of the Act by the Commission shall be accompanied with proof of payment of non-refundable fees as under:
 - (a) Rs. 2,50,000 (rupees two lakh fifty thousand) only in case the Settlement Applicant has a total turnover of up to Rs. 50,00,00,000 (rupees fifty crores) in India in the preceding financial year, or
 - (b) Rs. 10,00,000 (rupees ten lakh) only in case the Settlement Applicant has total turnover exceeding Rs. 50,00,00,000 (rupees fifty crores) and up to Rs. 500,00,00,000 (rupees five hundred crores) in India in the preceding financial year.
 - (c) Rs. 50,00,000 (rupees fifty lakh) only in case the Settlement Applicant has total turnover exceeding Rs. 500,00,00,000 (rupees five hundred crores) in India in the preceding year.

2. The fee can be paid either by tendering demand draft or pay order or banker's cheque, payable in favour of Competition Commission of India (Competition Fund), New Delhi or through Electronic Clearance Service (ECS) by direct remittance to the Competition Commission of India (Competition Fund), Account No. 1988002100187687 with "Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066".

10. Implementation and monitoring of settlement order. -

Where the Commission is of the opinion that the implementation of the Settlement Order needs monitoring, it may appoint agencies to oversee such implementation in terms of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009 and on such terms and conditions as may be specified by the Commission.

11. Revocation of the Settlement Order. -

- (1) If a Settlement Applicant fails to comply with the order passed by the Commission under section 48A of the Act or it comes to the notice of the Commission that the Settlement Applicant has not made full and true disclosure during the settlement proceedings or there has been a material change in the facts, the order passed under section 48A of the Act shall stand revoked and withdrawn.

Provided that before making an opinion in this regard, the Commission shall give an opportunity to the Settlement Applicant to show-cause, within a period of 15 working days from the date of receipt of the show-cause notice, as to why the Commission should not form an opinion that the Settlement Applicant has failed to comply with the order passed by the Commission under section 48A of the Act or the Settlement Applicant has failed to make full and true disclosure during the settlement proceedings or there has been a material change in the facts, as the case may be.

- (2) Where the settlement order stands revoked and withdrawn as per sub-regulation (1) above, the Settlement Applicant shall be liable to pay legal costs incurred by the Commission, as may be determined by the Commission, subject to a maximum of rupees one crore which shall be paid in terms of sub-regulation (2) of regulation 9.
- (3) Such legal costs imposed upon a Settlement Applicant shall be recoverable in the same manner under section 39 of the Act read with the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2011, as has been prescribed for recovery of penalty imposed under the Act.
- (4) Further, where the settlement order stands revoked and withdrawn as per sub-regulation (1) above, the Commission may also restore or initiate against the Settlement Applicant, inquiry or investigation in respect of which the order under section 48A was passed.

12. Power to use information. -

- (1) Where the Commission has revoked and withdrawn its settlement order in terms of section 48C of the Act read with regulation 11, the Commission and the Director General may rely upon the information and document submitted by the Settlement Applicant in the proceedings under the Act.
- (2) Where a Settlement Application is rejected or withdrawn, the Commission and the Director General may use the information gathered from sources other than Settlement Applicant in the proceedings under the Act.
- (3) The Commission may, subject to the provisions of regulation 35 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009 read with section 57 of the Act, use the information submitted by the Settlement Applicant against other parties to the inquiry who are not part of the settlement proceedings.
- (4) The facts established against the Settlement Applicant or admitted in any ongoing or concluded proceedings in India or outside India, with respect to the same cause of action, under any law, shall be deemed to be admitted by the Settlement Applicant in respect of the proceedings proposed to be closed under these regulations.

13. Request for Confidentiality. -

1. If any party request confidentiality of information or document(s) submitted during settlement proceedings, such request may be filed as per the procedure laid down in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, as amended from time to time.
2. Such request for confidentiality shall be duly considered in accordance with the provisions laid down in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, as amended from time to time read with section 57 of the Act.

14. Inspection and certified copies of documents. -

1. Notwithstanding anything contained to the contrary in regulation 37 and regulation 50 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, inspection and certified copies of documents submitted during settlement proceedings may be granted only to the Informant and the Settlement Applicant.

Provided that the inspection and certified copies of the confidential version of such documents shall be granted as per provisions of regulation 35 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009.

2. Inspection and certified copies of comments received under regulation 5 shall be allowed only after expiry of the period of 21 (twenty-one) days mentioned therein.

15. Powers to determine procedure in certain circumstances. –

In a situation not provided for in these regulations, the Commission may, for reasons to be recorded in writing, determine the procedure in a particular case.

16. Power to remove difficulties. -

In the matter of implementation of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the Commission shall have the powers to issue clarifications and specify procedures through circulars or guidelines and the decision of the Commission thereon shall be binding.

SCHEDULE-I

Undertakings and Waivers

I/We,, the Settlement Applicant(s) herein, as a condition for making the enclosed application to the Commission for examining and consideration of the application, hereby declare that I/we agree and undertake that:

1. The Settlement Applicant admits the jurisdiction and right of the Competition Commission of India (the Commission) to initiate proceedings in respect of the alleged contraventions under the Competition Act, 2002.
2. The Commission may enforce any claim(s) against the Settlement Applicant arising from or in relation to any violation of the settlement order passed pursuant to this application.
3. The Settlement Applicant waives its right of taking any legal proceedings against the Commission concerning any of the issues covered in the settlement order that may be passed.
4. The Settlement Applicant further waives the following:
 - a) the findings of fact and conclusions of law;
 - b) appeal or review before the National Company Law Appellate Tribunal or other courts;
 - c) any plea of limitation or laches for initiating or restoring of the proceedings, if the Settlement Applicant violates the settlement order.

(Signature of the Settlement Applicant with stamp and seal of the body corporate)

Before me.

Notary.

ANUPAMA ANAND, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./803/2023-24]